न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 132/2021 राजस्व वाद

श्रीमती मन्जू देवी पचेरीवाला पत्नी श्री पवन कुमार पचेरीवाला जाति महाजन आयु 60 वर्ष निवासी– 5 ए 29 आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)

– वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. जयप्रकाश पुत्र श्री नाना लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता वादी

2– पेरोकार सरकार ––प्रतिवादी संख्या 01

:: निर्णय ::

दिनांक– 28/02/2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया कि सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 9424/5534 रकबा 0.0199 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 02 दो के नाम पर दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 02 दो जयप्रकाश जो कि विगत करीब 14 वर्ष पूर्व करेड़ा गांव से कही चला गया जिसका कोई अता पता नही है। प्रतिवादी संख्या 02 के भाई बहिन सत्यनारायण, गोपाल, मधु, लीला, इन्द्रा, मांग बाई, रामेश्वर लाल द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि वादीया को दिनांक 14 चौदह अक्टूम्बर 2020 दो हजार बीस को रजिस्टर्ड विकयपत्र के जरिये कय की, जिस वक्त भी प्रतिवादी संख्या 02 दो के हक हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 02 लापता होने से वादीया को विकय प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर दी व कब्जा सिपुर्द कर दिया, जिस पर वादीया काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। विकयपत्र मे भी उक्त इन्द्राज है। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है , जो कि खुले रूप से आमजन व पक्षकारो की जानकारी मे निर्बाध रूप से कब्जा एंव उपयोग उपभोग चला आ रहा है।प्रतिवादी संख्या 02 दो जयप्रकाश के बारे मे आज दिन तक 14 सालो से वादीया द्वारा कही पर होने बाबत न तो सूचना मिली है व न ही कही पता चला है। प्रतिवादी संख्या 02 दो जयप्रकाश कानूनन 07 वर्ष की अवधि मे पता नही चलने पर उसकी कानून मृत्यु मानी जाती है व उनके वारीस उनके भाई बहिन है, जिनको प्रतिवादी संख्या 02 का हक हिस्सा विक्रय करने का अधिकार है। जिससे उनके द्वारा विकय किया गया है। वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 एक के समक्ष कई बार उपस्थित होकर प्रतिवादी संख्या 02 दो का अता पता नही होने से उनके वारीसान द्वारा वादीया को विकय किया गया है। जिससे प्रतिवादी संख्या 02 दो का नाम विलोपित कर वादीया ... करने हेतु निवेदन किया गया है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 एक हर बार टाल ... चले आ रहे है व आज दिन तक उक्त भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज नही की है ... दिनांक 15 सितम्बर 2021 को प्रतिवादी संख्या 01 एक को उक्त भूमि वादीया के नाम पर दर्ज करने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा वादीया के नाम पर उक्त भूमि दर्ज करने से इन्कार

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar

Date: 2024.01.01 14:07:38 IST

Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन

सहायक कलक्टर करेड़ा

दिया व सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 9424/5534 रकबा 0.0199 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 लापता होने से उनके वारीस भाई बहिनो द्वारा वादीया को विक्रय की गयी है, जिसके आधार पर वादीया राजस्व रेकार्ड प्रतिवादी संख्या 02 दो का नाम विलोपित करा वादीया उक्त आराजी को अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है, तद्नुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।... आदि।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी संख्या 02 का अखबार मे प्रकाशन कराया गया व प्रतिवादी संख्या 01 को सम्मन नोटिस जारी किये गये, जिनके द्वारा प्रकरण मे जवाब पेश नही करना चाहा, जिससे जवाब बंद किया गया, बाद मे प्रतिवादी संख्या 02 उपस्थित नही हुए, मामले मे एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

प्रकरण मे वादीया की ओर से प्रतिवादी संख्या 02 के भाई बहिनो वारीसान द्वारा विक्रयपत्र पंजीयन कराया गया जिसकी विकयपत्र की प्रति प्रदर्श–1, जमाबंदी की नकल प्रदर्श–2, नामान्तरण मय नक्शा प्रदर्श–3, अखबार में प्रकाशन की प्रति मय रसीद प्रदर्श–4, पेश किये गये, जिसे न्यायालय में प्रदर्श किये गये। दस्तावेज के अवलोकन से यह सिद्व होता हैं, कि वादीया ने वादग्रस्त आराजीयात कय की है व वाद विभाजन नवीन नम्बर 9424/5534 बने है। वादीया स्वयं व गवाहान के शपथपत्र पेश किये गये, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये।

वादीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीया द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रतिवादी संख्या 02 दो के नाम पर दर्ज भूमि को वादीया के नाम पर दर्ज कराने हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया, वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे प्रतिवादी संख्या 02 लापता होने व उनके भाई बहिनो वारीसान द्वारा उक्त आराजियात वादीया को 14/10/2020 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये विक्रय की गयी, जिसमे भी प्रतिवादी संख्या 02 दो के हक हिस्से का प्रतिफल उनके द्वारा प्राप्त करना व कब्जा सिपुर्द करना बताया गया है व उक्त आराजी का पंजीयन शुल्क भी प्राप्त हो चुका है व राजस्व हानि भी नहीं है एवं साथ ही वादीया द्वारा जो गवाहान के शपथपत्र पेश किये गये, जिनसे भी वादीया का कब्जा होना प्रमाणित है व साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 की दैनिक समाचार मे प्रकाशन के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ व न ही किसी के द्वारा कोई आपत्ति पेश की। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीया का वादपत्र स्वीकार कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेडा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 9424/5534 रकबा 0.0199 हैक्टयर को प्रतिवादी संख्या 02 दो के नाम से विलोपित की जाकर वादीया के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज [illegible] इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेडा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित [illegible] जावें। [illegible] जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली [illegible]

उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। [illegible] से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2024.01.01 14:07:38 IST
Reason: SelfAttested

(अहोताम सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)